न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः— श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या— 05/2015

बउनवान

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बारां (प्रार्थी)

बनाम

1. बजरंगलाल उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति राठी निवासी रीठोद तहसील व जिला बारां (राज)
2. देवीलाल उम्र 35 वर्ष पुत्र श्री धन्नालाल जाति राठी निवासी फतेहपुर तहसील व जिला बारां (राज)
3. पाना उर्फ कान्हा उम्र 45 वर्ष पुत्री श्री धन्नालाल जाति राठी निवासी खेड़ी चैनपुरिया तहसील व जिला बारां (राज.)
4. फूला उम्र 60 वर्ष पुत्री श्री धन्नालाल जाति राठी निवासी लक्ष्मीपुरा तहसील व जिला बारां (राज.)
5. रामचन्द्र उम्र 55 वर्ष पुत्र श्री दूलीचन्द जाति धाकड़ निवासी सायगढ़ तहसील व जिला बारां (राज) (मृतक)

5/1. संजय पुत्र
5/2. प्रेमनारायण पुत्र
5/3. राजेन्द्र पुत्र
5/4. जानकीबाई पत्नि रामचन्द्र पुत्र दूलीचन्द जाति धाकड़ निवासी0 सायगढ़ तहसील व जिला बारां

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा, 14 (4) भू आवंटन अधिनियम

उपस्थिति :— 1. पेरोकार सरकार (प्रार्थी)
2. श्री दुल्हेसिंह, अभिभाषक (अप्रार्थी कम 1 व 4)
3. श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक (अप्रार्थी कम 5/1 ता 5/4)
4. श्री अरविन्द सिंह हाड़ा, अभिभाषक (अप्रार्थी कम 3)

जिला कलेक्टर बारां (राज0)

निर्णय दिनांक 18.09.2024

प्रार्थी की ओर से जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम शाहगढ़ तह0 बारां में साबिक खसरा नंबर 57 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा भूमि किस्म चारागाह दर्ज थी। यह भूमि चारागाह से बिना राज्य सरकार अथवा जिला कलेक्टर, बारां के आदेश लिये धन्ना पुत्र धूलीलाल कौम राठी निवासी रीठोद के नाम आवंटन कर पट्टा दिनांक 03.12.1977 जारी किया गया एवं इन्तकाल नंबर 137 दिनांक 20.12.1978 से उसकी गैर खातेदारी में दर्ज कर दी गई। जबकि किस्म बदलने का कोई आदेश ना तो जिला कलेक्टर, बारां ने जारी किया, ना ही राज्य सरकार ने जारी किया। पूर्व में इंतकाल नंबर 137 की अपील माननीय न्यायालय में मगनलाल वगैरह द्वारा पेश की थी जो माननीय न्यायालय में प्रकरण संख्या 4/2024 दर्ज की जाकर निर्णय दिनांक 28.03.2007 से ग्राम शाहगढ़ का इंतकाल नंबर 137 व 151 निरस्त किये जाकर तहसीलदार बारां को निर्देशित किया गया कि उक्त नामान्तकरण में अंकित भूमि को पूर्ववत चारागाह दर्ज किया जावे तथा धन्ना राठी एवं उसके कायम मुकामान के विरूद्ध ग्राम शाहगढ़ के पूर्व खसरा नंबर 57 के कथित भू आवंटन के विरूद्ध सक्षम न्यायालय में भू आवंटन नियम 1970 की धारा 14(4) के तहत कार्यवाही करे। इस निर्णय के विरूद्ध न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, कोटा में बजरंगलाल वगैरह ने अपील प्रकरण संख्या 138/2007 पेश की जिसमें निर्णय दिनांक 24.07.2008 से न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त, कोटा ने न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां का आदेश दिनांक 28.03.2007 बहाल रखा। अति. संभागीय आयुक्त, कोटा के निर्णय दिनांक 24.07.2008 के विरूद्ध एक निगरानी बजरंगलाल वगैरह ने राजस्व मण्डल अजमेर [illegible] 9936/2008 में एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2015 से जिला कलेक्टर, बारां एवं अति. संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय को बहाल रखा तथा तहसीलदार बारां को निर्देशित किया कि वे निर्णय [illegible] माह के भीतर जिला कलेक्टर के न्यायालय में 14 (4) के तहत कार्यवाही पेश करे तथा यदि धन्नालाल को जो पट्टा दिनांक 03.12.1977 को जारी हुआ है वह यदि विधिक प्रकिया के तहत जिला कलेक्टर से स्वीकृति प्राप्त करके चारागाह से बिना नाम भूमि दर्ज

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.14 14:00:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज0)

हुई है तो ठीक अन्यथा तहसीलदार अपने स्तर पर 14(4) की कार्यवाही पेश करे। प्रकरण में सारा रिकॉर्ड देखने पश्चात यह तथ्य सामने आया है कि जिला कलेक्टर, बारां से किस्म परिवर्तन की स्वीकृति 1977 में नही ली गई एवं बिना आदेश किये चारागाह भूमि धन्ना राठी को आवंटित कर दी गई। धन्ना राठी के आवंटन के बाद उसके [illegible] वगैरह ने यह भूमि रामचन्द्र पुत्र दूलीचन्द धाकड़ निवासी सायगढ़ को जर्ये रजिस्टर्ड बेचाननामे से बेचान कर दी और इंतकाल नंबर 151 से यह भूमि रामचन्द्र के नाम दर्ज हुई है। साबिक खसरा नंबर 57 के नवीन खसरा नंबर 101 कायम किये गये हैं जो रामचन्द्र को बेचान की गई है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर ग्राम शाहगढ़ तहसील बारां का आवंटन आदेश दिनांक 03.12.1977 निरस्त फरमाया जावे एवं इसके तहत जो इंतकाल नंबर 137 व 151 ग्राम शाहगढ़ निरस्त फरमाये जाकर हाल खसरा नंबर 101 को चारागाह के रूप में दर्ज करने के निर्देश दिये जावें।

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया अप्रार्थी कम 2 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहा। शेष अप्रार्थीगण जर्ये पृथक पृथक अभिभाषकगण उपस्थित हुए। अप्रार्थी कम 1 व 4 तथा 3 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र पेश नहीं हुआ। अप्रार्थी कम 5 के वारिसान की ओर से जरिये अभिभाषक जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) भू आवंटन अधिनियम आवंटन आदेश के बिना प्रस्तुत किया गया है इस कारण प्रथम दृष्ट्या खारिज होने योग्य है। न्यायालय जिला कलेक्टर, बारां का निर्णय दिनांक 28.03.2007 को माननीय अति. संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा दिनांक 24.07.2008 को निरस्त कर दिया गया एवं माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा निगरानी संख्या 9936/2008 के निर्णय दिनांक 09.07.20015 के द्वारा अपील आंशिक स्वीकार कर कुछ बिन्दुओं की जांच करने के पश्चात कार्यवाही 14 (4) भू आवंटन नियम पेश करने का आदेश दिया है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 14 (4) भू आवंटन नियम में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा निर्धारित बिन्दुओं के बाबत कोई जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। अतः कार्यवाही काबिले खारिज है। प्रार्थी द्वारा मूल आवंटन आदेश व भू आवंटन की पत्रावली न्यायालय श्रीमान् में पेश नहीं की गई है मात्र राजस्व रिकार्ड के आधार पर आवंटन को गलत मानकर कार्यवाही प्रस्तुत की है जो माननीय राजस्व मण्डल के आदेश की अवहेलना है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही खारिज फरमावें।

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी कम 1 व 4 अनुपस्थित रहे। हमने बहस उभयपक्ष पेरोकार सरकार एवं उपस्थित विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी कम 5/1 ता 5/4 व 3 की सुनी। पेरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि वादग्रस्त आराजी की किस्म चारागाह थी जिसकी बगैर सक्षम स्वीकृति से किस्म परिवर्तन कराये बगैर धन्ना राठी को आवंटित की जाकर पट्टा दिनांक 03.12.1977 जारी किया गया जिसकी पालना में इंतकाल नंबर 137 खोला जाकर भूमि धन्ना राठी के गैर खातेदारी में दर्ज की गई। इंतकाल नंबर 137 के विरूद्ध अपील न्यायालय जिला कलक्टर बारां में मगनलाल वगैरह द्वारा पेश की जिसमें पारित निर्णय दिनांक 28.03.2007 से अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार बारां को कार्यवाही अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14(4) के तहत पेश करने के निर्देश प्रदान किये। उक्त आदेश के विरूद्ध बजरंगलाल वगैरह ने न्यायालय अति. संभागीय आयुक्त कोटा में अपील पेश की जिसे माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.07.2008 से निरस्त किया जाकर तहसीलदार बारां को विवादित भूमि के आवंटन के विरूद्ध न्यायालय जिला कलक्टर, बारां द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28.3.2007 में दिये गये निर्देशानुसार भू आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत कार्यवाही करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध बजरंगलाल वगैरह ने माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर में निगरानी संख्या 9936/2008 में एकल पीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.07.2015 से जिला कलेक्टर, बारां एवं अति. संभागीय आयुक्त कोटा के निर्णय को बहाल रखा तथा तहसीलदार बारां को निर्देशित किया कि वे निर्णय दिनांक 09.07.2015 से 2 माह के भीतर जिला कलेक्टर के न्यायालय में 14 (4) के तहत कार्यवाही पेश करे तथा यदि धन्नालाल को जो पट्टा दिनांक 03.12.1977 को जारी हुआ है वह यदि विधिक प्रक्रिया के तहत जिला कलेक्टर से स्वीकृति लेकर जारी होकर उसके नाम भूमि दर्ज हुई है तो ठीक अन्यथा तहसीलदार अपने स्तर पर 14(4) की कार्यवाही पेश करे। धन्ना राठी को विवादित भूमि का पट्टा बगैर किस्म परिवर्तन कराये जारी किया गया है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर धन्ना राठी के पक्ष में जारी पट्टा दिनांक 03.12.1977 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.14 14:00:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

न्यायालय जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

दौराने बहस अभिभाषक अप्रार्थी क्रम 5/1 ता 5/4 ने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को अस्वीकार तथा कथन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत कार्यवाही के साथ धन्ना राठी को विवादित भूमि के किये गये आवंटन का आदेश पेश नहीं किया है बगैर आवंटन आदेश के पेश की गई कार्यवाही अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के नियम 14 (4) के तहत पोषणीय नहीं है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 09.07.2015 में तहसीलदार बारां को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि धन्नालाल को जारी पट्टा दिनांक 03.12.1977 की पत्रावली का अध्ययन करे कि उसमें आवंटित भूमि को चारागाह से बिलानाम करने बाबत जिला कलक्टर से स्वीकृति प्राप्त की गई है अथवा नहीं। यदि तत्समय प्रचलित नियमों के तहत जिला कलेक्टर ने इस चारागाह भूमि को बिलानाम घोषित करने के बाद भूमि आवंटन नियम 1970 की प्रकिया अनुसार विधिवत धन्नालाल को आवंटन किया गया है तो कार्यवाही अन्तर्गत नियम 14(4) पेश नहीं की जायेगी और यदि इसके विपरीत उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार ने ही अपने स्तर पर चारागाह भूमि का आवंटन निष्पन्न किया गया है तो इस आदेश की तिथि से 2 माह के भीतर जिला कलेक्टर न्यायालय में प्रार्थना पत्र धारा 14 (4) के तहत पेश किया जावे। उक्त निर्देश की पालना में तहसीलदार बारां द्वारा कोई जांच नहीं की गई ना ही धन्ना राठी को किये गये आवंटन की पत्रावली की प्रतियां ही न्यायालय में उपलब्ध कराई जिससे उक्त बिन्दुओं के संबंध में जांच हो सके। आवंटी धन्नालाल राठी के वारिसान को उक्त भूमि पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के उपरान्त उन्होने उक्त भूमि का बेचान रामचन्द्र पुत्र दूलीचन्द जाति धाकड़ निवासी सायगढ तहसील बारां को किया है। तथा वर्तमान में उक्त आराजी केता रामचन्द्र पुत्र दूलीचन्द जाति धाकड़ निवासी सायगढ तहसील बारां के खातेदारी में दर्ज है तथा खातेदार के विरूद्ध कार्यवाही अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम की धारा 14(4) के तहत चलने योग्य नहीं होने से प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। पत्रावली में संलग्न माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निगरानी/एलआर/9936/2008/बारां में पारित निर्णय दिनांक 09.07.2015 के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार बारां को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा निर्धारित बिन्दुओं के संबंध में जांच कर जांच रिपोर्ट के साथ ही प्रकरण अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 की धारा 14 (4) के तहत इस न्यायालय में पेश करना था परन्तु पत्रावली में तहसीलदार बारां ने ऐसी कोई रिपोर्ट पेश नहीं की तथा धन्नालाल राठी को किये गये आवंटन दिनांक 03.12.1977 से संबंधित रेकार्ड भी पेश नहीं किया। तहसीलदार बारां द्वारा पत्रावली में प्रस्तुत रेकार्ड के अवलोकन से ग्राम शाहगढ़ की आराजी खसरा संख्या 101 रकबा 0.28 है. रामचन्द्र पुत्र दूलीचन्द जाति धाकड़ निवासी साहगढ तहसील बारां के खातेदारी में दर्ज है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होना पाया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत कृषि भूमि आवंटन नियम 14(4) के तहत पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18.09.2024 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलेक्टर,बारां

जिला कलेक्टर
बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.10.14 14:00:29 IST
Reason: SelfAttested